अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2021 (RCMS 2021/62) (RTI No. 212634406715796) सतवीर निवासी 11/69, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर–334004(मोबाईल नम्बर–83879–76415) (पो.ऑ.नं. [illegible]/212782) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सतवीर उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2021 से तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी। जो तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने एवं वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> **उपरोक्त विषय अनुसार निम्न प्रकार से** निवेदन है कि चक ग्राम का नाम 13 एपीडी (बी) पटवार हल्का 7 एपीडी (भातीवाला), मु.नं. 263/401 साहबराम पुत्र आसाराम जाति मेघवाल से मुरब्बा दर्ज है।
>
> 1. आज दिनांक तक मु. में किये गये इंतकाल दर्ज की प्रतिलिपि देवें।
> 2. जिसके आधार पर इंतकाल दर्ज किये गये उसकी प्रतिलिपि देवें।
> 3. आज दिनांक तक की जमाबन्दी की प्रतिलिपि देवें मु.नं. 253/401

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. जिसके आधार पर रजिस्ट्री की गई उसकी प्रतिलिपि देवें, लगाई गई वोटिंग लिस्ट देवें
5. रजिस्ट्री में रखे गये गवाह की फोटो आईडी व वोटिंग लिस्ट की प्रतिलिपि देवें
6. टीआरए शाखा में सेल रजिस्टर में दर्ज मु.नं. 253/401 चक 13 एपीडी (बी) की प्रतिलिपि देवें।
7. मु.नं. 253/401 चक 13 एपीडी (बी) की आवंटन राशि भरी गई उसकी रसीद की प्रतिलिपि देवें।
8. टीआरए शाखा में सेल रजिस्टर में दर्ज अलोटमेंट आवेदन का नाम व अलोटमेंट आवेदन व अलोटमेंट दिनांक वा फाईल नं. टिप्पणी सहित देवें। मद संख्या 1 ता 8 की प्रतिलिपि सूचना देवें।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 66 दिनांक 12.04.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप द्वारा चाही गई सूचना का बिन्दुवार जवाब निम्नलिखित है :

1. बिन्दु संख्या 1 से ग्राम 13 एपीडी"बी" के मु.नं. 253/401 में किये गये ईन्तकाल की प्रतिलिपि चाही है। उक्त मुं.नं. में नाम. सं. 115 व नामा. सं. 164 दो नामान्तरण [illegible] लैण्ड रिकॉर्ड रूलस [illegible] 40 [illegible] रूपये) शुल्क क[illegible] से प्राप्त किये जा सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> 2. बिन्दु संख्या 2 से 5 का सम्बन्ध कार्यालय से न होने के कारण उक्त सूचना देय नहीं है।
> 3. बिन्दु संख्या 6 ता 8 मुताबिक सेल रजिस्टर ग्राम 13 एपीडी"बी" उक्त मु.नं. का खाता नहीं है। अतः अभिलेख अभाव में बिन्दु संख्या 6 ता 8 के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती है।
>
> अतः आपका प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर आपको सूचना प्रेषित की जा रही है यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।
>
> -sd-
>
> तहसीलदार (राजस्व)
> श्रीविजयनगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का जवाब तहसीलदार श्रीविजयानगर द्वारा अपने पत्रांक 68 दिनांक 12.04.2021 से उक्तानुसार दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही व स्वयं [illegible] द सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अ[illegible] सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को जो बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाई है, वह सही है उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की खारिज करने योग्य है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि बिन्दु संख्या 01 की सूचना हेतु वांछित राशि राजकोष में जमा करवा देवें तो उसे सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:04 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर